## SOUTH CENTRAL RAILWAY SC DIVISION – ALERT ADVICE No. 13/2025 Date: 19.08.2025

No.sfy-12/SC/AA-13/2025

Sub: Pushing back of trains (Engine pushing) from Block section.

Train No. Dn DKN Goods (Containers) with loco No32508 while passing between SRUR-SKZR stations stalled at km 191/36 at 05.22 hrs on 13.08.2025. After obtaining permission (PN) from Dy SS/SRUR station, Loco Pilot of DKN Goods started pushing back and reached to SRUR station at 06.21hrs. Two Patrolmen along with one assistant (Contract Staff) are walking on the track towards SRUR on Dn line track at the time of backing. During pushing back the DKN Goods hit the patrolling staff resulted one contract person run over and killed and one patrolmen got grievous injurious with serious hand fracture.

In view of the above incident, it is once again reiterated the procedure as laid down in G&SR 4.12 for pushing back of train from block section and precautions to be followed to alert the staff en-route.

1. Pushing Back of Passenger Carrying Train(SR 4.12.1.1) - No engine may push a passenger carrying train outside station limits except under the following circumstances:

i. When a train meets with an accident or in emergency, working of relief

trains, transshipping of passengers etc.

ii. If it is not possible for the train to proceed further due to floods, breaches, landslides etc.

iii. To pick up an injured passenger or a person knocked down by the train, if

considered necessary

2. Pushing Back of Other than Passenger Carrying Train - No engine shall push a train other than passenger carrying train outside station limits except under the following circumstances:

a) In connection with the working of 'Material Train' in accordance with

the G.R.4.62 and Subsidiary Rules there under.

b) Inability of engine to haul the load.

- c) Line obstructed and trains required working to and from the point of obstruction.
- d) When a train meets with an accident or in emergency working of relief

e) If it is not possible for the train to proceed further due to floods,

breaches, landslides etc.

- 3. Procedure for Pushing Back: Once a train enters a block section, normally it should not be pushed back. However, in the circumstances mentioned above, the Guard in consultation with the Loco Pilot can decide to push back the train after the following precautions are taken:
  - The Guard/Loco Pilot shall contact Station Master/SCOR/TPC telephonically and obtain permission to push back. Such permission shall be given only by Station Master of station in rear, supported by a Private Number. This is not applicable for SR 4.12.1.1(iii).
  - ➤ If Guard/Loco Pilot could not contact Station Masters/SCOR/TPC telephonically, the Guard/ Assistant Loco Pilot shall walk to the nearest station. Station Master of the station shall then issue a Caution Order permitting pushing back. Station Master of station in advance shall issue Caution Order only after obtaining permission, supported by a Private

Number, from Station Master of station in rear. This permission shall be given only after ensuring the level crossing gates, if any, are closed against the road traffic. This is not applicable for Rule No.4.12.1.1 (iii).

- > The Guard shall ascertain that the level crossing gates are locked and the hand signals are displayed by the Gateman before proceeding further. The Guard shall be responsible for taking all precautions to warn passengers that the train is being pushed back to the station to prevent accidents to the passengers in the carriages.
- > The Guard of the pushing train shall travel in the leading vehicle if it is fitted with a vacuum/air brake valve or hand brake. If the leading vehicle is not so fitted, the Guard shall travel in the nearest vehicle thereto which is so fitted. The speed of the train when the Guard is travelling in the leading vehicle shall not exceed 25 KMPH and, in any other vehicle, 8 KMPH.
- > The Guard of a pushing train shall keep a sharp lookout while passing through tunnels, bridges, and cuttings and continuously exhibit PHS to the Loco Pilot.
- The absence of PHS may be due to an obstruction and the Loco Pilot shall stop the train at once.
- > The Guard shall also continuously whistle to warn the Gangmen, Patrolmen/Security Patrolmen, OHE staff, Telecom staff and any other staff on the way to make them aware about the pushing back of train and to stand clear of the track.
- > The Loco Pilot shall continuously whistle and keep a sharp lookout, especially in the direction, in which the train is running and be prepared to stop the train short of any obstruction.
- > While pushing back the goods train running without Guard, such of the duties of the Guard as can be performed shall devolve on the Assistant Loco Pilot.
- While pushing back the goods train without brake van, the Guard shall walk by the side of the track in rear of the last vehicle of the train exhibiting PHS continuously to the Loco Pilot. The Loco Pilot shall observe walking speed on this occasion.
- > When a train is being pushed back, it can received by taking 'off' reception signals on single line. On double line, the train can be received by issuing pilot in memo after setting, clamping and padlocking of relevant points.

The above laid down Instructions/Procedure may be given wide publicity to follow staff without any deviation and compliance to be ensured.

[ [ए. सुरेश] वरि. मंसंधि/सिकं [A. Suresh] Sr. DSO/SC

Copy: DRM/SC for kind information.

ADRM/O and ADRM/I for kind information.

All Branch Officers for information and necessary action.

All Field Supervisors for information and necessary action.

}

## <u>दक्षिण मध्य रेलवे</u> <u>सिकंदराबाद मंडल – चेतावनी सूचना सं. 13/2025</u>

सं.sfy-12/SC/AA-13/2025

दिनांक: 19.08.2025.

विषयः ब्लॉक सेक्शन से गाड़ियों को पीछे धकेलना (इंजन पुर्शिंग).

सिरपुर टाउन- सिरपुर कागज़नगर स्टेशनों के बीच से गुज़रते समय लोको नं. 32508 के साथ गाड़ी नं. डाउन डीकेएन गुड्स (कंटेनर) दि.13.08.2025 को 05.22 बजे 191/36 कि.मी. पर रुक गयी. उप स्टेशन अधीक्षक/सिरपुर टाउन स्टेशन से अनुमति (पीएन) प्राप्त होने के बाद, डीकेएन गुड्स के लोको पायलट ने पीछे धकेलना आरंभ किया और 06.21 बजे सिरपुर टाउन स्टेशन पर पहुंच गया. पीछे धकेलते समय डाउन लाइन ट्रैक पर सिरपुरटाउन की ओर रेलपथ पर एक सहायक (कान्ट्रैक्ट कर्मचारी) के साथ दो पेट्रोलमैन चल रहे थे. पीछे धकेलते समय डीकेएन गुड्स ने पेट्रोलिंग कर्मचारियों को धक्का दिया जिसके परिणामस्वरूप एक कान्ट्रैक व्यक्ति पर से गाड़ी चली और उसकी मौत हो गयी तथा हाथ में गंभीर फ्रैक्चर के साथ एक पेट्रोलमैन गंभीर रूप से घायल हुआ.

उपरोक्त घटना को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर से ब्लॉक सेक्शन से गाड़ी को पीछे धकेलने के लिए सा. व स. नि. 4.12 में निर्धारित प्रक्रिया को दोहराया जाता है तथा मार्ग में कर्मचारियों को सतर्क करने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को दोहराया जाता है.

- 1. यात्री गाड़ी को पीछे धकेलना (स.नि. 4.12.1.1) निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी इंजन यात्री गाड़ी को स्टेशन की सीमा से बाहर नहीं धकेल सकता है:
- i. जब कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या आपातकालीन स्थिति होती है, तो राहत गाड़ियों का संचालन, यात्रियों का परिवहन आदि
- ii. यदि बाढ़, दरारों, भूस्खलन आदि के कारण गाड़ी का आगे बढ़ना संभव न हो.
- iii. घायल यात्री या गाड़ी से टकराकर घायल व्यक्ति को उठाना, यदि आवश्यक हो तो.
  - 2. यात्री गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ी को पीछे धकेलना निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर कोई भी इंजन यात्री गाड़ी के अलावा किसी अन्य गाड़ी को स्टेशन की सीमा के बाहर नहीं धकेलेगा:
    - a) सा.नि. 4.62 और उसके अंतर्गत सहायक नियमों के अनुसार सामग्री गाड़ी के कार्य के संबंध में.
    - b) भार ढ़ोने में इंजन की असमर्थता.
    - c) लाइन अवरुद्ध है और अवरोध के पाइंट से और तक गाड़ियों का संचालन आवश्यक है.
    - d) जब कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है या राहत गाड़ियों का आपातकालीन संचालन होता है.
    - e) यदि वाढ़, दरारों, भूस्खलन आदि के कारण गाड़ी का आगे बढ़ना संभव न हो.
- 3. पीछे धकेलने की प्रक्रिया: एक बार कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करती है, तो सामान्य तौर पर उसे पीछे नहीं धकेलना चाहिए. तथापि, उपर्युक्त परिस्थितियों में, लोको पायलट के साथ परामर्श करके गार्ड निम्नलिखित सावधानियां बरतने के बाद गाड़ी को पीछे धकेलने का निर्णय ले सकता है:
- गार्ड/लोको पायलट टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/सेक्शन नियंत्रक/टीपीसी से संपर्क करेगा और पीछे धकेलने के लिए अनुमित प्राप्त करेगा. ऐसी अनुमित प्राइवेट नंबर की सहायता से केवल पिछले स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा ही दी जाएगी. यह स.नि. 4.12.1.1(iii) के लिए लागू नहीं है.
- यदि गार्ड/लोको पायलट, स्टेशन मास्टर/सेक्शन नियंत्रक/टीपीसी से टेलीफोन पर संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो गार्ड/सहायक लोको पायलट निकटतम स्टेशन तक पैदल जाएगा. फिर स्टेशन का स्टेशन मास्टर पीछे धकेलने की अनुमति देते हुए एक सतर्कता आदेश जारी करेगा. पहले से मौजूद स्टेशन का स्टेशन मास्टर, पीछे वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से प्राइवेट नंबर द्वारा समर्थित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही सतर्कता

आदेश जारी करेगा. यह अनुमति केवल यह सुनिश्चित करने के बाद दी जाएगी कि समपार फाटक, यदि कोई हो, सड़क यातायात के लिए बंद हैं. यह नियम संख्या 4.12.1.1 (iii) पर लागू नहीं होता है.

> गार्ड आगे बढ़ने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक बंद है और फाटकवाले द्वारा हथ सिगनलों को प्रदर्शित किया गया है. गार्ड की ज़िम्मेदारी होगी कि वह यात्रियों को यह चेतावनी देने के लिए सभी सावधानियां बरतें कि गाड़ी को स्टेशन की ओर वापस धकेला जा रहा है ताकि डिब्बों में बैठे

यात्रियों को दुर्घटना से बचाया जा सके.

> यदि आगे वाले वाहन में वैक्यूम/एयर ब्रेक वाल्व या हैंड ब्रेक फिट किया गया हो, तो आगे वाले वाहन में पीछे धकेलनेवाली गाड़ी का गार्ड यात्रा करेगा. यदि आगे वाले वाहन को ऐसा फिट नहीं किया गया हो, तो गार्ड उसके सबसे निकटतम वाहन में यात्रा करेगा जिसमें ऐसा फिट किया गया हो. जब गार्ड आगे वाले वाहन में यात्रा कर रहा हो, तो गाड़ी की गति 25 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए, और किसी अन्य वाहन में कर रहा हो, तो 8 किमी/घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए.

> धक्का देने वाली गाड़ी का गार्ड सुरंगों, पुलों और किंटंग्स से गुजरते समय पैनी नजर रखेगा और लोको पायलट को लगातार पीएचएस दिखाता रहेगा.

> पीएचएस की अनुपस्थिति किसी अवरोध के कारण हो सकती है और लोको पायलट को तुरन्त गाड़ी रोक देनी चाहिए.

- > गार्ड लगातार सीटी बजाकर गैंगमैन, पेट्रोलमैन/सुरक्षा पेट्रोलमैन, ओएचई कर्मचारी, दूरसंचार कर्मचारी और रास्ते में आने वाले अन्य कर्मचारियों को चेतावनी देगा ताकि वे गाड़ी को पीछे धकेले जाने के बारे में जान सकें और ट्रैक से दूर खड़े हो सकें.
- > लोको पायलट लगातार सीटी बजाएगा और विशेष रूप से उस दिशा पर पैनी नजर रखेगा, जिसमें गाड़ी चल रही है और किसी भी अवरोध के पहले गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहेगा.
- > गार्ड के बिना चल रही मालगाड़ी को पीछे धकेलते समय गार्ड की जो भी ड्यूटियां हैं, उन्हें सहायक लोको पायलट द्वारा निभाया जाएगा.
- > ब्रेक यान के बिना माल गाड़ी को पीछे धकेलते समय, गार्ड, लोको पायलट को लगातार पीएचएस प्रदर्शित करते हुए गाड़ी के अंतिम वाहन के पीछे रेलपथ के किनारे-किनारे चलेगा. इस दौरान लोको पायलट को चलने की गति पर ध्यान देना होगा.
- > जब किसी गाड़ी को पीछे धकेला जाता है, तो उसे सिंगल लाइन पर आगमन सिगनलों को 'ऑफ' करते हुए लिया जा सकता है. डबल लाइन पर, संबंधित पाइंटों की सेटिंग, क्लैंपिंग और पैडलॉर्किंग करने के बाद पायलट-इन मेमो जारी करके गाड़ी को लिया जा सकता है.

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अनुदेशों/कार्यविधि का व्यापक प्रचार किया जाए ताकि कर्मचारी बिना किसी परिवर्तन के इसका पालन करें और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

वमंसंधि/सिकंदराबाद

प्रतिलिपिः

मंरेप्र/सिकंदराबाद को सूचनार्थ. अमरेप्र/प्रचा और अमरेप्र/इन्फ्रा को सूचनार्थ. सभी शाखा अधिकारियों को सूचना व आवश्यक कार्रवाई के लिए. सभी फील्ड पर्यवेक्षकों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए.